न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चौथ का बरवाड़ा

मु0नं0:– 23 / 2021 तारीख रजू:–26.11.2021

जी.सी.एम.एस. नं0:– 2021 / 95

पीठासीन अधिकारी :– जोगेन्द्र सिंह (आर.ए.एस.)

1. केदार लाल पुत्र गोपी लाल यादव जाति अहीर, निवासी ईसरदा, तहसील चौथ का बरवाडा, जिला सवाई माधोपुर (राज.)

–प्रार्थी

बनाम

1. पप्पू सिंह पुत्र बजरंग लाल जाति काछी निवासी ईसरदा, तहसील, चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर (राज.)।
2. बच्ची पत्नि स्व. कल्याण काछी निवासी ईसरदा, तहसील, चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर (राज.)।
3. बजरंगलाल पुत्र रामकरण काछी निवासी ईसरदा, तहसील, चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर (राज.)।
   - 3/1. भंवरलाल पुत्र बजरंगलाल काछी निवासी ईसरदा, तहसील, चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर (राज.)।
   - 3/2. मोहनलाल पुत्र बजरंग काछी निवासी ईसरदा, तहसील, चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर (राज.)।
   - 3/3. गीता पुत्री बजरंग लाल **(नाम हजफ 20.02.2025)**
   - 3/4. धापू पुत्री बजरंग लाल **(नाम हजफ 20.02.2025)**
   - 3/5. बदाम पुत्री बजरंग लाल **(नाम हजफ 20.02.2025)**
   - 3/6. सतोष पुत्री बजरंग लाल **(नाम हजफ 20.02.2025)**
   - 3/7. भूरी देवी पत्नि बजरंग लाल **(नाम हजफ 20.02.2025)**
4. राजा पुत्री कल्याण काछी निवासी ईसरदा, तहसील, चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर (राज.)।
5. रामलाल पुत्र कल्याण काछी निवासी ईसरदा, तहसील, चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर (राज.)।
6. सत्यनारायण पुत्र कल्याण काछी निवासी ईसरदा, तहसील, चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर (राज.)।

–अप्रार्थीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2025.11.11 16:26:40 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थितः:–

वकील प्रार्थी :–श्री हंसराज यादव एडवोकेट

वकील अप्रार्थीगण 1 लगायत 2 व 4 लगायत 6 :– श्री अब्दुल बहाव एडवोकेट

अप्रार्थी सं 3/1 व 3/2 :– जवाब बंद

निर्णय दिनांकः–10.11.2025

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) एल0आर0 एक्ट

1. प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि–

- आवेदक की खातेदारी भूमि ख. नं. 550 रकबा 2.63 है0 है किस्म बारानी 1 एवं खसरा नंबर 551 रकबा 0.21 है0 बारानी 1 कुल किता 2 कुल रकबा 2.84 है0 वाके ग्राम ईसरदा पटवार हल्का ईसरदा ए तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर में स्थित है।

- आवेदक की खातेदारी भूमि पर जाने हेतु खसरा नं. 561 रकबा 0.19 है0 बारानी 1, वर्तमान में डामरीकृत सड़क (गै0मु0 सडक) से ख. नं. 560 रकबा 1.04 है0 बारानी 1 की पूर्वी मेड व ख.नं. 559 रकबा 0.90 है0 बारानी 1, की पूर्वी मेड के सहारे उक्त खसरा नम्बरान से 14 फिट चौडा रास्ता उपलब्ध करवाया जावे।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते चौथ का बरवाड़ा

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस बनाम अप्रार्थीगण जारी किये जाकर उनको न्यायालय में तलब किया।

3. वकील प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर दिनांक 20.02.2025 को सुनवाई कर अप्रार्थी संख्या 3/3 लगायत 3/7 के नाम हजफ किये गये।

4. अप्रार्थी संख्या 3/1 व 3/2 को पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद उनके द्वारा न्यायालय में जवाब पेश नहीं किये जाने के कारण उनका दिनांक 03.06.2025 को जवाब बंद किया गया।

5. वकील अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 2 व 4 लगायत 6 ने अपना जवाब पेश किया है कि–

- प्रार्थना पत्र मिन विपक्षीगण के अतिरिक्त बजरंगलाल पुत्र रामकरण काछी के विरुद्व प्रस्तुत किया है जबकि बजरंगलाल का दिनांक 31.12.2016 को देहान्त हो चुका है। इसलिए प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मृत व्यक्ति के विरुद्व प्रस्तुत किया है जो चलने योग्य नहीं होने से खारिज योग्य है।

- प्रार्थी ने खसरा नंबर 559, 560, 563 के खातेदार गीता, धापू, बदाम भूरी भंवरलाल, मोहनलाल, संतोष को पक्षकार नहीं बनाया है जबकि वह आवश्यक पक्षकार है। पक्षकार बनाए बिना प्रस्तुत प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होने से खारिज योग्य है।

- विपक्षीगण खसरा नंबर 559, 560, 563 के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है और खातेदारी खेतों के मध्य होकर कानून रास्ता नहीं दिया जा सकता है, प्रार्थना पत्र निरस्त योग्य है।

- मिन विपक्षीगण की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 560 व 559 के मध्य होकर रास्ता चाहने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो गलत है प्रार्थी का विपक्षीगण की खातेदारी भूमि में होकर कभी रास्ता नहीं है और न ही वर्तमान में है खसरा 560 के पूर्वी और खसरा नंबर 563 पड़ता है। दोनों खेत विपक्षीगण के है इसलिए दोनों खेतों के मेध्य होकर क्योंकर रास्ता दिया जा सकता है। और यदि रास्ता दिया जाता है तो विपक्षीगण के खेत खराब हो जावेगें जिससे विपक्षीगण काफी नुकसान उठाना पडेगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Sing
Date: 2025.11.11 16:26:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

❖ प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि खसरा नंबर 550 पर हमेशा से खसरा नंबर 554 के उत्तरी मेड व 556 की पश्चिमी मेड पर होकर आता जाता रह है जब प्रार्थी के पास पूर्व से ही अपनी खातेदारी भूमि पर आने जाने का रास्ता मौजूद है तो वह विपक्षीगण की खातेदारी भूमि में होकर क्योंकर रास्ता लेना चाहता है इसलिए प्रार्थना पत्र निरस्त होने योग्य है।

❖ प्रार्थी के पास पूर्व से ही अपनी खातेदारी भूमि पर जाने का हमेशा का रास्ता मौजूद है तथा वह निरन्तर उसका उपयोग व उपभोग करता चला आ रहा है इसलिए उसे रास्ते की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए उसे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होने से प्रार्थना पत्र निरस्त होने योग्य हैं।

6. तहसीलदार, चौथ का बरवाडा ने अपने पत्रांक भू0अ0/2022/3260दिनांक 30.11.2022 द्वारा रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश की है जो निम्नानुसार है–

❖ आवेदक केदारमल पुत्र गोपीलाल यादव ग्राम ईसरदा तहसील चौथ का बरवाडा हाल निवासी जयपुर है। आवेदक के नाम ग्राम ईसरदा में मुताबिक राजस्व रिकार्ड खसरा नम्बर 550/2.63, 551/0.21 किता 2 रकबा 2.84 खातेदारी भूमि है।

❖ प्रार्थी की खातेदारी भूमि तक पंहुचने का कोई वैकल्पिक रास्ता रिकार्ड व मौके पर नहीं है। अन्य खातेदारी भूमि में से होकर अपनी जोत पर पहुंचता है। आवेदक खसरा नंबर 561 रकबा 0.19 के बजाय खसरा नंबर 562 रकबा 0.11 किस्म बारानी 1, वर्त्तमान में डामरीकृत सडक ईसरदा से सीतारामपुरा जाने वाली गुजर रही है से जुडे हुए खसरा नंबर 563 रकबा 0.90 है0 किस्म बारानी 1, 559 रकबा 0.90 किस्म बारानी 1 जो खसरा नंबर 563 से ठीक उपर का खेत है, कि पूर्व मेड के सहारे खसरा नम्बरान में से 14 फिट चौडा रास्ता दिया जाना उचित है। उक्त रास्ता सबसे निकटतम रास्ता है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते चौथ का बरवाड़ा

❖ मुताबिक राजस्व रिकार्ड ग्राम ईसरदा के खसरा नंबर 559/0.90 किस्म बारानी 1, 563/0.90 है0 किस्म बारानी 1 खातेदारी भूमि है। खं नं. 559 में से 76 मीटर लम्बा 4.26 मीटर चौडा कुल 322.76 वर्गमीटर एवं खसरा नंबर 563 में से 150 मीटर लम्बा 4.26 मीटर चौडा कुल 639 वर्गमीटर भूमि रास्ता के रूप में दिया जाना उचित होगा।

7. बकुलाय बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान वकील एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 2 व 4 लगायत 6 के विद्वान वकील द्वारा दौराने बहस प्रार्थना पत्र एवं प्रस्तुत जवाब में अंकित कथनों का दोहरान किया। मैंने प्रार्थी वकील एवं वकील अप्रार्थी संख्या 1 [illegible] 4 लगायत 6 की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध [illegible] दस्तावेजों अवलोकन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Si
Date: 2025.11.11 16:26:40 IST
Reason: SelfAttested

❖ जमाबंदी संवत् 2073–2076 के खाता संख्या 145 के खसरा नंबर 550 एवं 551 कुल रकबा 2.84 है0 का प्रार्थी रिकॉर्डेड खातेदार है। तहसीलदार, [illegible] का बरवाड़ा की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी की खातेदारी भूमि में पहुंच हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अनुसार प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि में जाने हेतु समीप के खातेदार से लघुत्तम रास्ता पाने का अधिकार रखता है। तहसीलदार, चौथ का

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

बरवाड़ा की अनुसार अन्य खातेदारी भूमि में से होकर अपनी जोत पर पहुंचता है। आवेदक खसरा नंबर 561 रकबा 0.19 के बजाय खसरा नंबर 562 रकबा 0.11 किस्म बारानी 1, वर्तमान में डामरीकृत सडक ईसरदा से सीतारामपुरा जाने वाली गुजर रही है से जुडे हुए खसरा नंबर 563 रकबा 0.90 है0 किस्म बारानी 1, 559 रकबा 0.90 किस्म बारानी 1 जो खसरा नंबर 563 से ठीक उपर का खेत है , कि पूर्व मेड के सहारे खसरा नम्बरान में से 14 फिट चौडा रास्ता सबसे निकटतम पड़ता है। जिस कारण प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि खसरा नंबर 550 एवं 551 कुल रकबा 2.84 है0 में जाने हेतु खसरा नंबर 559 व खसरा नंबर 563 में से रास्ता दिया जाना न्यायोचित है।

–:आदेश:–

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है कि एवं तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा को आदेश दिये जाते हैं कि वे प्रार्थी की ग्राम ईसरदा में स्थित खातेदारी भूमि खसरा नंबर 550 एवं 551 कुल रकबा 2.84 है0 में आवागमन हेतु ग्राम ईसरदा तहसील चौथ का बरवाड़ा में स्थित भूमि खसरा नंबर 562 रकबा 0.11 किस्म बारानी 1, वर्तमान में डामरीकृत सडक ईसरदा से सीतारामपुरा जाने वाली गुजर रही है, से लगती हुई अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 563 रकबा 0.90 है0 किस्म बारानी 1, 559 रकबा 0.90 किस्म बारानी 1 जो खसरा नंबर 563 से ठीक उपर का खेत है, कि पूर्व मेड के सहारे खसरा नम्बरान में से 14 फिट चौडा रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाकर नियमानुसार इसकी तरमीम करते हुए उपलब्ध कराया जाये। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 द्वारा उनकी खातेदारी भूमि में से उपलब्ध कराये गये रास्ते के एवज मेंउन्हे प्रार्थीगण से डीएलसी की दुगुनी दर से दुगुना प्रतिकर दिलवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में दिनांक 10.11.2025 को सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
चौथ का बरवाड़ा

(जोगेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2025.11.11 16:26:40 IST
Reason: SelfAttested